प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
   प्र. ई. रि. स. – 46/22 दिनांक – 16/02/2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7 ए
   (ब) अधिनियम – ..... धाराये – .....
   (स) अधिनियम – ..... धाराये – .....
   (द) अन्य अधिनियम – धाराये – .....
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 335 समय – 12:10 Pm
   ब. अपराध के घटने का दिन – सोमवार, दिनांक – 15.02.2022 समय – 01.21 पी.एम.
   स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 29.01.2022 समय – 01.10 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख उत्तर 5 किलोमीटर लगभग
   (ब) पता :– बकरा मण्डी कालिया दूका स्थित फैक्ट्री
   बीट संख्या जरायमदेही संख्या
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी का नाम
   1. (अ) नाम – हमजा खान (ब) पिता/पति का नाम – श्री मोहम्मद याकूब
      (स) जन्म तिथि/वर्ष – 25 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
      (य) व्यवसाय – फैक्ट्री व्यवसाय (र) पता – शेखों का मोहल्ला, खाण्डा फलसा जिला जोधपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
   1. श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 138, हाथी का नोहरा, उम्मेद चौक जोधपुर हाल ठेका कर्मी, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग जोधपुर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही
9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 3,000/– रू.**
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

सेवामें,

श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
विशेष ईकाई जोधपुर

विषयः– रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवानें बाबत।

महोदयजी,

सविनय नम्र निवेदन यह है कि मैं हमजा खान पुत्र श्री मोहम्मद याकूब जाति चडवा मुसलमान उम्र 25 साल निवासी शेखों का मोहल्ला खाण्डा फलसा जोधपुर का रहने वाला हूं। मैं कपड़े की रंगाई छपाई का कार्य करता हूं। मेरे बकरा मण्डी कालिया दूका में कपड़े रंगाई की एक फैक्ट्री है, जहां पर कई वर्षों से पानी का घेरेलू कनेक्शन लिया हुआ है। दिनांक 21.01.2022 को जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारी श्री महिपाल मेरी फेक्ट्री आकर मुझे बोले की तुम्हारे घेरेलू पानी के कनेक्शन पर व्यवसायी कार्य में पानी को काम ले रहे हो, जिससे तुम्हारे में बहुत बड़ी पेनल्टी भरवा दूंगा व घेरेलू कनेक्शन काटकर व्यवसायी कनेक्शन जारी कर दूंगा। यदि तुम्हे पेनल्टी नहीं भरवानी है तो प्रति कनेक्शन 500 रूपये के हिसाब से तुम्हारे दोनों घेरेलू कनेक्शन के बदले में 1000 रूपये रिश्वत की राशि मुझे दे दो ताकि साल भर तुम्हे कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे मोहल्ले में बहुत से हमारी जाति के लोग कपड़ा रंगाई का काम करते है। उन सभी से भी प्रति कनेक्शन 500 रूपये रिश्वत ले रहा है व भारी मात्रा में डरा धमका कर रिश्वत राशि संग्रहण कर रहा है। श्रीमान मैं मेरी फेक्ट्री में रंगाई का कार्य पिछले 20 वर्षो से कर रहे है व आज तक पानी का कोई बिल पेण्डिंग नहीं है। उसके बावजूद व्यवसायी कनेक्शन कराने के नाम पर श्री महिपाल कर्मचारी पीएचईडी जोधपुर डरा धमका कर अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर रहा है। जो मैं देना नहीं चाहता हूं। बल्की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री महिपाल कर्मचारी पीएचईडी विभाग जोधपुर से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई वैध लेन–देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थना पत्र के साथ मेरा पहचान पत्र आधार कार्ड की फोटो प्रति व पानी के बिल की प्रति पेश कर रहा हूं।

भवदीय

एसडी
हमजा 29–01–22
हमजा खान
पुत्र श्री मोहम्मद याकूब जाति चडवा
मुसलमान उम्र 25 साल निवासी शेखों का
मोहल्ला खाण्डा फलसा जोधपुर
मोबाईल नं. 9782427169

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 29.01.2022 समय 1.10 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री हमजा खान पुत्र श्री मोहम्मद याकूब उपरोक्त टाईपशुदा रिपोर्ट लेकर कार्यालय उपस्थित हुआ। मजमून रिपोर्ट सें मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जानें से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

एसडी
(दुर्गसिंह राजपुरोहित)
अति.पुलिस अधीक्षक
29/01/2022

एसडी
(मनीष कुमार बिश्नोई)
15/2/22

एसडी
(विनोद कच्छवाह)
15/02/2022

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 29.01.2022 समय 01.10 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री हमजा खान पुत्र श्री मोहम्मद याकूब जाति चडवा मुसलमान उम्र 25 साल निवासी शेखों का मोहल्ला खाण्डा फलसा जोधपुर ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि ''मैं हमजा खान पुत्र श्री मोहम्मद याकूब जाति चडवा मुसलमान उम्र 25 साल निवासी शेखों का मोहल्ला खाण्डा फलसा जोधपुर का रहने वाला हूं। मैं कपड़े की रंगाई छपाई का कार्य करता हूं। मेरे बकरा मण्डी कालिया दूका में कपड़े रंगाई की एक फैक्ट्री है, जहां पर कई वर्षों से पानी का घेरेलू कनेक्शन लिया हुआ है। दिनांक 21.01.2022 को जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारी श्री महिपाल मेरी फेक्ट्री आकर मुझे बोले की तुम्हारे घेरेलू पानी के कनेक्शन पर व्यवसायी कार्य में पानी को काम ले रहे हो, जिससे तुम्हारे में बहुत बड़ी पेनल्टी भरवा दूंगा व घेरेलू कनेक्शन काटकर व्यवसायी कनेक्शन जारी कर दूंगा। यदि तुम्हे पेनल्टी नहीं भरवानी है तो प्रति कनेक्शन 500 रूपये के हिसाब से तुम्हारे दोनों घेरेलू कनेक्शन के बदले में 1000 रूपये रिश्वत की राशि मुझे दे दो ताकि साल भर तुम्हे कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे मोहल्ले में बहुत से हमारी जाति के लोग कपड़ा रंगाई का काम करते है। उन सभी से भी प्रति कनेक्शन 500 रूपये रिश्वत ले रहा है व भारी मात्रा में डरा धमका कर रिश्वत राशि संग्रहण कर रहा है। श्रीमान मैं मेरी फेक्ट्री में रंगाई का कार्य पिछले 20 वर्षो से कर रहे है व आज तक पानी का कोई बिल पेण्डिंग नहीं है। उसके बावजूद व्यवसायी कनेक्शन कराने के नाम पर श्री महिपाल कर्मचारी पीएचईडी जोधपुर डरा धमका कर अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर रहा है। जो मैं देना नहीं चाहता हूं। बल्की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री महिपाल कर्मचारी पीएचईडी विभाग जोधपुर से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई वैध लेन–देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थना पत्र के साथ मेरा पहचान पत्र आधार कार्ड की फोटो प्रति व पानी के बिल की प्रति पेश कर रहा हूं।'' परिवादी की टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री रामचन्द्रसिंह कानि. से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से निकलवाकर मंगवाया गया तथा परिवादी श्री हमजा खान को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई।

वक्त 01.25 पी.एम. पर कार्यालय के श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. व परिवादी श्री हमजा खान का आपसी परिचय करवाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 को सुपर्द कर परिवादी श्री हमजा खान व आरोपी श्री महिपाल कर्मचारी पीएचईडी के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री हमजा खान एवं श्री रामचन्द्रसिंह कानि. को कार्यालय से परिवादी के निजी मोटरसाईकिल से परिवादी के फैक्ट्री हेतु रवाना किया गया।

वक्त 02.10 पी.एम. पर श्री रामचन्द्र कानि. व परिवादी श्री हमजा खान कार्यालय हाजा उपस्थित आये तथा श्री रामचन्द्रसिंह कानि ने कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं एवं परिवादी कार्यालय से रवाना होकर परिवादी की बकरा मण्डी कालिया दूका स्थित फैक्ट्री पहुंचे। जहां थोडी देर बाद श्री महिपाल के आने से पूर्व मेरे द्वारा परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द किया गया तथा मन् कानि. आस पास मुकिम रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति मोटर साईकिल पर परिवादी के फैक्ट्री के गेट पर आकर रूका एवं परिवादी से बात करके चला गया। तब परिवादी मेरे पास आया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे मैंने स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि श्री महिपाल सिंह कर्मचारी पीएचईडी जोधपुर ने मुझसे प्रति कनेक्शन 500 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है। जिस पर मैं मय परिवादी के उसकी फैक्ट्री से रवाना होकर पुनः कार्यालय हाजा उपस्थित आया। जिस पर परिवादी ने भी श्री रामचन्द्रसिंह कानि. के बताए तथ्यों पर सहमति जाहिर की। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर को ऑन कर सुना गया तो परिवादी श्री हमजा खान एवं आरोपी श्री महिपालसिंह के मध्य वार्ता होना तथा दौराने वार्ता आरोपी श्री महिपालसिंह द्वारा 500 रूपये प्रति कनेक्शन की रिश्वत राशि की मांग करना एवं अन्य लोगों के भी नाम बताना जिनसे पैसे लिये है, की पुष्टि होना पाया गया। कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा। आईन्दा रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

वक्त 03.00 पी.एम. पर परिवादी को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर आरोपी से पुनः सम्पर्क होने पर उपस्थित कार्यालय आने एवं अब तक की कार्यवाही को गोपनीय रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया।

दिनांक 15.02.2022 वक्त 11.25 ए.एम. पर परिवादी श्री हमजा खान उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि महिपाल दो दिन पहले मुझे मिला था। तब मुझसे पैसे मांगे तो मैंने कहा कि अभी व्यवस्था नहीं हुई हैं इस पर श्री महिपाल ने मुझसे कहा कि तेरे रिश्तेदार जो अडोस पडोस में है उनके भी पैसे ले आना या तेरे तीन साल तक के पैसे एक साथ तीन हजार रूपये ले आना नहीं तो सबके कनेक्शन कॉमर्शियल कर दूंगा। जिस पर मैं 3000 रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था करके आपके पास उपस्थित हुआ हूं।

वक्त 11.32 ए.एम. पर परिवादी के मोबाइल नं. 9782427169 पर आरोपी मनोहर के मोबाइल नं. 9079858479 से कॉल आया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर ऑन किया तथा परिवादी के मोबाईल को स्पीकर पर करवाकर कार्यालय के रिकॉर्डर में परिवादी एवं आरोपी के बीच के वार्तालाप को रिकॉर्ड किया। दौराने वार्तालाप आरोपी ने परिवादी को कहा कि आज मैं फ्री हूं आज कितने बजे आउं तब परिवादी ने 1 बजे के बाद आने का कहा। रिकॉर्डिड वार्तालाप की ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा तैयार की जायेगी।

वक्त 11.35 ए.एम. पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर के नाम तहरीर कमांक 339 दिनांक 15.02.2022 जारी कर गवाह तलबी हेतु श्री रामचन्द्रसिंह कानि. को तहरीर सहित खनि अभियंता कार्यालय जोधपुर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 12.01 पी.एम. पर श्री रामचन्द्र कानि. खनि अभियंता जोधपुर से मय स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय हाजा उपस्थित आया। जिनसे परिचय करने पर उन्होने बारी–बारी अपना परिचय विनोद कच्छवाहा पुत्र श्री पृथ्वीसिंह कच्छवाहा जाति माली उम्र 33 साल निवासी सिधीयों की गली, पोस्ट ऑफिस के सामनें, सूरसागर जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर, मोबाईल नम्बर 8769148077 तथा श्री मनीष कुमार बिश्नोई पुत्र श्री बाबूराम बिश्नोई जाति बिश्नोई उम्र 26 साल निवासी ग्राम बंजरंग नगर ग्राम पंचायत सुरपुरा पोस्ट मालमसिंह की सीढ तहसील बाप जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9772512626 के रूप में दिया। जिन्हें बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाकर परिवादी की रिपोर्ट मय दस्तावेज का अवलोकन करवाकर हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनों ने अग्रिम कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति दी।

वक्त 12.10 पी.एम. पर दोनों गवाहान के रू–ब–रू परिवादी श्री हमजा खान पुत्र श्री मोहम्मद याकूब जाति चडवा मुसलमान उम्र 25 साल निवासी शेखों का मोहल्ला खाण्डा फलसा जोधपुर द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहां गया जिस पर परिवादी श्री हमजा खान ने भारतीय मुद्रा के पाँच सौ रूपयें का 1 नोट, 200 रूपयें के 08 नोट एवं 100 रूपयें के 9 नोट कुल राशि 3,000 रूपये पेश किये। श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 ने मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आई तथा उक्त 3000 रूपये के नोटो पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री हमजा खान की जामा तलाशी गवाह श्री विनोद कच्छवाहा से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 9782427169 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 3000 रूपये जो श्री महिपाल को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी हमजा खान के पहनी हुए जेकेट के सामनें की उपर की बांयी जेब में श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हमजा खान को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर के मोबाईल नं. 9460453110 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमति सुशीला के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन

पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों एवं दोनों सफेद लिफाफो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। उक्त कार्यवाही की पृथक सें फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। अब तक की कार्यवाही के हालात उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर को निवेदन किये जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

वक्त 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री हमजा खान को छोड़कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के साबुन से साफ हाथ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास में रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा खर्चे के 1,000 रूपये अपने पास रखे।

वक्त 12.35 पी.एम. पर मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, श्री राजेन्द्रसिह कानि. नम्बर 13, स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कच्छवाहा के प्राईवेट निजी वाहन से, श्रीमति मधुमति हैड कानि. नम्बर 89 ब्यूरो के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री गणेश कानि. नम्बर 219 के ब्यूरो कार्यालय का ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के तथा कार्यवाही स्थल अति संकरा होने से अन्य स्टाफ श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 एवं श्री भंवरलाल कानि. 501 निजी मोटरसाईकिल से, श्री अर्जुनसिंह कानि. नम्बर 319 एवं स्वतंत्र गवाह श्री मनीष कुमार बिश्नोई निजी मोटरसाईकिल से, श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 एवं परिवादी श्री हमजा खान परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से तथा कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट से बकरा मण्डी स्थित परिवादी की फैक्ट्री के लिए रवाना हुए।

वक्त 1.50 पी.एम. पर हालात इस प्रकार है कि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायन के कार्यालय से रवाना शुदा वक्त 12.45 पी.एम. पर चान्दपोल रोड बकरा मण्डी के पास पहुंचे। वक्त 12.50 पी.एम पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. को कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी की फैक्ट्री पर पहुंचने से पूर्व डिजीटल वॉयर रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी को सुपर्द करे। ताबाद परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से श्री रामचन्द्रसिंह कानि. एवं परिवादी को उसकी फैक्ट्री के लिए रवाना किया। साथ ही श्री अर्जुनसिंह कानि. एवं श्री मनीष कुमार विश्नोई स्वतंत्र गवाह को निजी मोटरसाईकिल से तथा श्री भवंरलाल कानि. एवं श्री मेघराज हैड कानि. को निजी मोटरसाईकिल से परिवादी के पीछे–पीछे गोपनीय रूप से रहने की हिदायत कर रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष हमरायन के बकरा मण्डी रोड़ पर तथा ब्यूरो के सरकारी वाहन मय श्रीमति मधुमति हैड कानि. एवं चालक गणेश कुमार कानि. को गोपनीय रूप से खड़ा करवाकर रिश्वत राशि लेन–देन के इंतजार में मुकिम हुए।

वक्त 1.21 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाइल नम्बर 9460453110 पर परिवादी श्री हमजा खान ने अपने मोबाइल नम्बर 9782427169 से कॉल कर रिश्वति राशि लेन–देन होने की सूचना दी। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायन के लेन–देन स्थान परिवादी की फैक्ट्री की ओर पैदल रवाना होकर पहुंचा। जहां पर श्री रामचन्द्र सिंह कानि. एवं श्री अर्जुनसिंह कानि. एक व्यक्ति जिसने कन्धे पर कॉस में एक काले रंग का बेग लटका रखा था, को दोनों हाथों से पकड़े हुए तथा पास में परिवादी हमजा खान खड़े मिले। श्री रामचन्द्र ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में सुपुर्द कर बताया कि रिश्वत राशि लेन–देन होने के उपरांत परिवादी श्री हमजा खान के द्वारा गोपनीय इशारा करने पर मेरे द्वारा परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर बंद किया गया था। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर अपने पास सुरक्षित रखा, आईन्दा रिश्वति राशि लेन देन की फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की जावेगी। तत्पश्चात परिवादी ने ब्यूरो जाब्ता द्वारा पकड़े गये उक्त व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री महिपाल सिंह है, जिन्होनें मेरे से अभी अभी मेरी कपडे रंगाई की फैक्ट्री में व्यवसायिक कनेक्शन जारी करनें की धमकी व घरेलू कनेक्शन काट कर बडी पैनल्टी भरवानें का डर दिखा कर प्रति कनेक्शन 500 रूपयें के हिसाब से 3000 रूपयें रिश्वत राशि के प्राप्त कर अपने पर्स में रखे हैं। तत्पश्चात अपना एवं हमराईन का परिचय देकर मनतव्य से अवगत करवाकर सम्बंधित व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री महिपालसिंह पुत्र श्री जगदीश सिह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 138, हाथी का नोहरा, उम्मेद चौक जोधपुर हाल ठेका कर्मी जन स्वास्थ्य एंव अभियान्त्रिकी विभाग जोधपुर होना बताया। जिस

पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री महिपाल सिंह सें परिवादी श्री हमजा खान द्वारा दी गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी महिपाल सिंह ने बताया कि हमजा खान के पानी का घरेलू कनेक्शन लिया हुआ है यह अपने घर में ही कपड़े की रंगाई का कार्य करता है जिस पर मैंने उसे धमकाया कि तेरे घरेलू कनेक्शन की जगह व्यवसायिक कनेक्शन जारी करवा दूंगा एवं व्यवसायिक बिल तुम्हे भारी पड़ेगा। हमजा खान के विरूद्ध व्यवसायिक बिल जारी नहीं करवाने की एवज में अभी 3000 रूपये उससे लिये है जो मेरे पर्स में रखे हैं एवं पर्स मेरी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में है। मौके पर आने–जाने की संकरी गलीयां एवं भीड़ इकट्ठा होने से ट्रैप कार्यवाही करने की उचित एवं सुरक्षित व्यवस्था नहीं होने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय एसीबी एसयू जोधपुर में ही करनें का निर्णय लेकर आरोपी श्री महिपाल सिंह को श्री रामचन्द्र सिंह कानि. से बायां हाथ एवं श्री अर्जुनसिंह कानि. से दाहिना हाथ पकड़े हुए की स्थिति में ही मुख्य रोड़ तक लाकर सरकारी वाहन टवेरा में आरोपी के बैग सहित बैठाकर मय हमरायन के कार्यालय हेतु रवाना होकर तथा परिवादी स्वयं की निजी मोटरसाईकिल वहीं छोड़कर श्री अर्जुनसिंह कानि. की मोटरसाईकिल से एवं आरोपी की मोटरसाईकिल ब्यूरो जाब्ता से वाहनों के पीछे पीछे कार्यालय हेतु रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय एसीबी एसयू जोधपुर पर समय 1.50 पीएम पर पहुंचे।

वक्त 2.10 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी हमजा खान एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री महिपालसिंह के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में कार्यालय में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त कांच की दो गिलासो को आधा–आधा भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री महिपालसिहं के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 एवं आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री महिपालसिंह के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया।

तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री विनोद कच्छवाहा से आरोपी श्री महिपालसिंह की जामा तलाशी लिरवाई गई तो पहनें हुए पेंट की पीछे की दाहिनी जेब में एक भूरे रंग का पर्स मिला। जिसमें आरोपी के पर्स में भारतीय मुद्रा के भिन्न भिन्न नोट पाये गये तथा पर्स में एक ओर अलग से राशि रखी हुई पाई गई। जिसे कार्यालय में पूर्व सें तैयार फर्द पेशकसी गवाह श्री मनीष कुमार विश्नोई को सुपर्द कर उक्त राशि को बोल बोल कर दूसरे गवाह श्री विनोद कच्छवाहा से मिलान करवाया गया तों फर्द पेशकसी के अनुसार राशि 3000 रूपयें फर्द के मुताबिक होना पाई गई। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

1.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 TS 334091
2.	200 रूपये का एक नोट नम्बर	6 DW 195286
3.	200 रूपये का एक नोट नम्बर	3 BQ 287253
4.	200 रूपये का एक नोट नम्बर	6 LB 367868
5.	200 रूपये का एक नोट नम्बर	7 CH 863186
6.	200 रूपये का एक नोट नम्बर	8 LR 028531
7.	200 रूपये का एक नोट नम्बर	3 ED 955385
8.	200 रूपये का एक नोट नम्बर	5 GH 558077
9.	200 रूपये का एक नोट नम्बर	4 DD 479464
10.	100 रूपये का एक नोट नम्बर	3 LP 104775
11.	100 रूपये का एक नोट नम्बर	9 FE 245562
12.	100 रूपये का एक नोट नम्बर	4 EW 367810
13.	100 रूपये का एक नोट नम्बर	2 KR 208203
14.	100 रूपये का एक नोट नम्बर	2 FM 938169
15.	100 रूपये का एक नोट नम्बर	0 MT 541657
16.	100 रूपये का एक नोट नम्बर	6 MT 949605
17.	100 रूपये का एक नोट नम्बर	5 LG 706314

18.	100 रूपये का एक नोट नम्बर	6 FK 313373

उक्त भारतीय मुद्रा 3,000/– को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। इसके अतिरिक्त आरोपी श्री महिपालसिंह के पर्स में भारतीय मुद्रा के 500 रूपये के 9 नोट, 200 रूपये का 1 नोट, 100 रूपये के 4 नोट, 50 रूपये के 2 नोट, 20 रूपये के 2 नोट एवं 10 रूपये के 5 नोट, कुल राशि 5290 रूपये पाये गये जिनके बारे में पूछने पर आरोपी श्री महिपालसिंह द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री महिपाल सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री विनोद कच्छवाहा सें लिरवाई गई तों आरोपी श्री महिपाल सिंह के पहनी हुए पेन्ट की की आगे की दायी जेब में ओपो कम्पनी का मोबाइल जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 866592059785617 एवं 2. 866592059785609 जिसमें क्रमशः एक एयरटेल कम्पनी की सिम जिसके नम्बर 9829637735 व दूसरी जीओ कम्पनी की सिम जिसके नम्बर 9079858479 होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया।

आरोपी के पर्स में स्वयं का महिपाल सिंह खींची के नाम से ड्राईविंग लाईसेंस मिला उक्त लाईसेंस को भी कब्जा ब्यूरों लिया गया। तत्पश्चात आरोपी का पर्स जिसमें से रिश्वति राशि बरामद हुई, का धोवन लिया जाना आवश्यक होनें के कारण आरोपी श्री महिपालसिंह के पर्स को दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी हमजा खान के रूबरू ट्रेप बॉक्स में से एक कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलास में कार्यालय में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त कांच की गिलास को आधा भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थित ने रंगहीन होना स्वीकार किया। गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री महिपालसिंह के पर्स के अंदर से जहां रिश्वत राशि बरामद हुई, को एक सफेद कपड़े की साफ चिंदी से रगड़ रगड़ कर उक्त पानी के घोल में डुबो कर निचोड़ा गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थित ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित किया गया। उक्त पर्स में रिश्वत राशि बरामद स्थान पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर पर्स कों एक कपडें की थैली में सील मोहर कर थैली में प्रकरण का विवरण अंकित करवाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी अंकित कर कब्जा ब्यूरों लिया गया। धोवन में काम ली गई चिंदी को भी अलग से कपड़े की थैली में सील मोहर कर थैली में प्रकरण का विवरण अंकित करवाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क सी अंकित कर कब्जा ब्यूरों लिया गया।

इसके उपरांत आरोपी के पास में मिले काले रंग के बेग की तलाशी गवाह श्री विनोद कच्छवाहा से लिवाई गई तो उसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान के सहायक अभियंता व्यासपार्क जोधपुर द्वारा जारी विभिन्न उपभोक्ताओं के नाम से जारी पानी के कुल 21 बिल मिले जिन्हे क्रम संख्या 1 से 21 अंकित कर प्रथम एवं अंतिम बिल पर सम्बंधित से हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। इसके अतिरिक्त आपातकालीन सेवाओं सम्बंधी एक परिचय–पत्र बतौर मीटर रिडर आरोपी श्री महिपालसिंह के नाम से जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर द्वारा जारी शुदा मिला जिसे भी कब्जा ब्यूरो लिया गया। इसके अतिरिक्त उक्त काले बेग में एक डायरी जिसमें 1 से 22 तक पेज है जिसमें से 1 से 15 पेज भरे हुए मिले, जिसमें बहुत से मकान नम्बर के आगे निर्माण कार्य चलने, अवेध कनेक्शन लिया होना की टिप्पणी लिखी हुई है, को प्रकरण से सम्बंधित संदिग्ध जानकारी होना प्रतीत होती है जो अनुसंधान का विषय है अतः उक्त डायरी के पेज संख्या 1 के पीछे एवं 15 पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो ली गई तथा उक्त काले रंग के बेग को आरोपी के रिश्तेदार के आने पर उन्हें सुपुर्द किया जायेगा।

ट्रैप कार्यवाही में रिश्वत राशि लेने के सम्बंध में श्री महिपालसिंह से पूछताछ करने पर आरोपी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि लाईफलाईन कम्प्यूटर कम्पनी, सीकर का ठेका जोधपुर में श्री सुरेश के पास होने से सुरेश द्वारा पूरे जोधपुर में पानी के बिल वितरण करने के लिए मुझ सहित 15 से 16 प्राईवेट व्यक्ति रखें हुए है। जिनकों प्रति घर एक रूपया बिल वितरण का मिलता है। मैं पिछले डेढ वर्ष से जोधपुर में बहुत से क्षेत्र में बिल वितरण का कार्य करता आ रहा हूं। दौराने ट्रैप कार्यवाही आरोपी घटनास्थल के आसपास क्षेत्र में प्रत्येक रंगाई छपाई के कार्य वालें सें पीएचईडी विभाग के अधिकारियों के नाम पर डरा धमका कर कनेक्शन काटनें व घरेलू बिल की जगह व्यवसायिक बिल जारी करनें का डर दिखा कर अधिकारियों के नाम पर रिश्वत की मांग करना पाया गया है। आरोपी श्री महिपाल सिंह का कार्य केवल पीएचईडी विभाग द्वारा पानी उपभोग के विरूद्ध उपभोक्ताओ को जारी पानी के बिल वितरण करने का ही था और इस क्रम में आरोपी को घर–घर बिल वितरण करने के कारण प्रत्येक उपभोक्ता की पानी उपयोग से सम्बंधित समस्त जानकारी थी। आरोपी श्री महिपाल सिंह के पास से मिली डायरी में बहुत सारे मकान नम्बर के आगे पानी का अवेध कनेक्शन होना, निर्माण कार्य चलना इत्यादि टिप्पणी लिखी हुई है जिसके बारे में आरोपी से पूछने पर श्री महिपालसिंह ने बताया कि यह सारी जानकारी वह पीएचईडी व्यासपार्क स्थित सहायक अभियंता कार्यालय के कर्मचारीगण से साझा करता है एवं यह भी बताया कि जो मकान मालिक अवेध कनेक्शन, निर्माण कार्य एवं

व्यवसायिक गतिविधि अवेध रूप से चलाते हैं उनसे मैं पीएचईडी के अधिकारी से कार्यवाही कराने का डर दिखाकर उनसे रिश्वत राशि बंधी के रूप में लेता हूं तथा जो लोग मुझे पैसा नहीं देते हैं उनके खिलाफ विभाग से मैं कार्यवाही करवा देता हूं। इस कारण आरोपी द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को पीएचईडी विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही/पेनल्टी का भय दिखाकर उपभोक्ताओं से रिश्वत राशि की मांग करना एवं प्राप्त करना पाया गया है। पीएचईडी के व्यासपार्क स्थित सहायक अभियंता कार्यालय में पदस्थापित कौन कर्मचारी आरोपी महिपाल सिंह से सम्पर्क में है एवं बंधी में किसकी मिलीभगत है, इस सम्बंध में अनुसंधान किया जायेगा।

अतः अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री महिपालसिंह पुत्र श्री जगदीश सिह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 138, हाथी का नोहरा, उम्मेद चौक जोधपुर हाल ठेका कर्मी जन स्वास्थ्य एंव अभियान्त्रिकी विभाग जोधपुर का अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी श्री महिपालसिंह पुत्र श्री जगदीश सिह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 138, हाथी का नोहरा, उम्मेद चौक जोधपुर हाल ठेका कर्मी जन स्वास्थ्य एंव अभियान्त्रिकी विभाग जोधपुर को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। बरामदगी रिश्वति राशि एवं हाथ धोवन की कार्यवाही की फर्द मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवा कर शामिल रनिंग नोट की गई।

वक्त 4.20 पी.एम पर बाद पूछताछ के आरोपी श्री महिपालसिंह पुत्र श्री जगदीश सिह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 138, हाथी का नोहरा, उम्मेद चौक जोधपुर हाल ठेका कर्मी जन स्वास्थ्य एंव अभियान्त्रिकी विभाग जोधपुर को उसके द्वारा किये जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रंनिग नोट की गयी।

वक्त 4.30 पी.एम. पर आरोपी श्री महिपालसिंह को ब्यूरो स्टाफ की निगरानी में सुपुर्द कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों गवाहान, परिवादी श्री हमजा खान, श्रीमति मधुमति हैड कानि. 89 के जरिये सरकारी वाहन के घटनास्थल का नक्शा मौका मूर्तिब करने हेतु रवाना हुआ।

वक्त 5.40 पी.एम. पर परिवादी की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका रूबरू दोनों गवाहान के समक्ष घटनास्थल पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्रीमति मधुमति हैड कानि. 89 की हस्तलिपि से मूर्तिब करवाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर घटनास्थल का नक्शा मौका शामिल रनिंग नोट किया गया। बाद उपरोक्त के मय हमरायन के घटनास्थल से रवानाशुदा पुनः कार्यालय हाजा उपस्थित आया।

वक्त 5.55 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी की मोटरसाईकिल मय चाबी तथा एक काला बेग आरोपी के रिश्तेदार श्री हेमेन्द्रसिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह निवासी उम्मेद चौक मोबाईल नम्बर 9024535495 को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामील रनिंग नोट की गई।

वक्त 06.00 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में जब्त शुदा आरोपी श्री महिपाल सिंह के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, तथा, शील्ड शुदा रिश्वति राशि 3,000 रूपयें आरोपी का एक मोबाईल फोन मय दो सिम के, आरोपी का ड्राईविंग लाईसेन्स, संदिग्ध राशि 5290 रूपयें, पर्स के अन्दर चिन्दी से रगड रगड कर लिया गया धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क पी. 1 व पी. 2, पर्स का शील्ड शुदा पैकेट मार्क पी, पर्स के धोवन में प्रयुक्त चिन्दी का शील्ड शुदा पैकेट मार्क सी, पानी के कुल बिल 21, एक डायरी पेज संख्या 01 से 22 जिसमें पेज संख्या 01 से 15 तक इन्द्राज है, एक आपातकालीन सेवा सम्बन्धी परिचय पत्र आरोपी श्री महिपाल सिंह का जोधपुर डिस्कॉम द्वारा जारी, को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में ईन्द्राज करवा कर जमा मालखाना करवायें गये।

वक्त 06.20 पी.एम. पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री हमजा खान एवं आरोपी श्री महिपाल सिंह ठेका कर्मी पीएचईडी विभाग जोधपुर के मध्य दिनांक 29.01.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालाप कों दोनो गवाहान व परिवादी श्री हमजा खान के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कानि. रामचन्द्र सिंह से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री हमजा खान के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप श्री रामचन्द्रसिंह कानि. से फर्द मुर्तिब करवाई गई। परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री महिपालसिंह की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की अलग

अलग थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दो सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व एक सीडी आरोपी की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान तैयार की गई सीडीया मालखाना प्रभारी को जमा करवानें हेतु सुपर्द की गई। इसी दौरान श्री अयूब खान, उप निरीक्षक को जरिये तहरीर मय ब्यूरो स्टाफ श्री अर्जुन सिंह मय सरकारी वाहन मय चालक श्री गणेश कुमार कानि. के आरोपी श्री महिपालसिंह का राजकीय चिकित्सालय सेटेलाईट पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोविड–19 परिक्षण राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय से करवाकर आरोपी को पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में जमा करवाने के निर्देश दिये जाकर रवाना किया गया।

वक्त 07.30 पी.एम. पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री हमजा खान एवं आरोपी श्री महिपाल सिंह ठेका कर्मी पीएचईडी विभाग जोधपुर के मध्य आज दिनांक 15.02.2022 को रिश्वती राशि लेन–देन से पूर्व टेलीफोनिक वार्ता तथा वक्त लेन–देन रूबरू वार्तालाप रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालापों को दोनों गवाहान व परिवादी श्री हमजा खान के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कानि. रामचन्द्र सिंह से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री हमजा खान के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप श्री रामचन्द्रसिंह कानि. से फर्द मुर्तिब करवाई गई। परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री महिपालसिंह की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की अलग अलग थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दो सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व एक सीडी आरोपी की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान ही श्री अयूब खान उप निरीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ श्री अर्जुन सिंह मय सरकारी वाहन मय चालक श्री गणेश कुमार कानि. के आरोपी श्री महिपालसिंह का राजकीय चिकित्सालय सेटेलाईट पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोविड–19 परिक्षण राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय से करवाकर आरोपी को पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में जमा करवाने हेतु गये हुए निर्देशानुसार आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोविड–19 परिक्षण करवाकर पुलिस थाना उदयमंदिर की हवालात में जमा करवाकर उपस्थित कार्यालय आए। तहरीरे प्रस्तुत की जिसे शामील रनिंग नोट किया गया।

वक्त 08.30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी की कोई आवश्यकता नही होनें के कारण कार्यालय से रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही सें परिवादी श्री हमजा खान द्वारा कपडे की रंगाई छपाई का कार्य करना, परिवादी की बकरा मण्डी कालिया दूका में कपडे रंगाई की एक फैक्ट्री है, जहां पर परिवादी के कई वर्षो से पानी का घरेलू कनेक्शन है, आरोपी श्री महिपालसिंह द्वारा दिनांक 21.01.2022 को परिवादी के व्यवसायिक कनेक्शन जारी करनें व घरेलू कनेक्शन काट कर बडी पैनल्टी भरवानें का डर दिखा कर परिवादी सें उसके व उसके रिश्तेंदार के प्रति कनेक्शन 500 रूपयें के हिसाब से मांग करनें पर परिवादी नें दिनांक 29.01.2022 को इस यूनिट पर उपस्थित एक लिखित रिपोर्ट गोपनीय कार्यवाही हेतु पेश करना, उक्त रिपोर्ट पर आरोपी श्री महिपाल सिंह से दिनांक 29.01.2022 को परिवादी सें मांग सत्यापन करवाना जिसमें आरोपी श्री महिपाल सिंह द्वारा परिवादी श्री हमजा खान सें उसके घरेलू कनेक्शन के प्रति कनेक्शन 500 रूपयें रिश्वत की मांग करना, दिनांक 15.02.2022 कों परिवादी श्री हमजा खान सें उसकी फैक्ट्री पर व्यवसायिक कनेक्शन जारी करनें की धमकी देकर व घरेलू कनेक्शन काट कर बडी पैनल्टी भरवानें का डर दिखा कर परिवादी सें 3000 रूपयें प्राप्त कर अपनें पर्स में रख कर पर्स अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब में रखना, जहां से रूबरू गवाहान रिश्वत राशि 3000 रूपयें बरामद होना, आरोपी श्री महिपाल सिंह के दांये हाथ का धोवन गुलाबी व बांये हाथ का धोवन गहरा गुलाबी प्राप्त होना पाया गया है। रिश्वत राशि बरामद स्थान आरोपी के पर्स का चिन्दी से रगड कर धोवन लेनें पर धोवन का रंग गुलाबी होना पाया गया है।

आरोपी श्री महिपाल सिंह घटनास्थल के आसपास क्षेत्र में प्रत्येक रंगाई छपाई के कार्य वालें सें पीएचईडी विभाग के अधिकारियों के नाम पर डरा धमका कर कनेक्शन काटनें व घरेलू बिल की जगह व्यवसायिक बिल जारी करनें का डर दिखा कर अधिकारियों के नाम पर रिश्वत की मांग करना पाया गया है। आरोपी श्री महिपाल सिंह का कार्य केवल पीएचईडी विभाग द्वारा पानी उपभोग के विरूद्ध उपभोक्ताओ को जारी पानी के बिल वितरण करने का ही था और इस क्रम में आरोपी को घर–घर बिल वितरण करने के कारण प्रत्येक उपभोक्ता की पानी उपयोग से सम्बंधित समस्त जानकारी थी। आरोपी श्री महिपाल सिंह के पास से मिली डायरी में बहुत सारे मकान नम्बर के आगे पानी का अवेध कनेक्शन होना, निर्माण कार्य चलना इत्यादि

टिप्पणी लिखी हुई पाई गई। जिसके बारे में आरोपी से पूछने पर श्री महिपालसिंह ने बताया कि यह सारी जानकारी वह पीएचईडी व्यास पार्क स्थित सहायक अभियंता कार्यालय जोधपुर के कर्मचारीगण से साझा करता है एवं यह भी बताया कि जो मकान मालिक अवेध कनेक्शन, निर्माण कार्य एवं व्यवसायिक गतिविधि अवेध रूप से चलाते हैं उनसे मैं पीएचईडी के अधिकारी से कार्यवाही कराने का डर दिखाकर उनसे रिश्वत राशि बंधी के रूप में लेता हूं तथा जो लोग मुझे पैसा नहीं देते हैं उनके खिलाफ विभाग से मैं कार्यवाही करवा देता हूं। इस कारण आरोपी द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को पीएचईडी विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही/पेनल्टी का भय दिखाकर उपभोक्ताओं से रिश्वत राशि की मांग करना एवं प्राप्त करना पाया गया है। पीएचईडी के व्यासपार्क स्थित सहायक अभियंता कार्यालय में पदस्थापित कौन कर्मचारी आरोपी महिपाल सिंह से सम्पर्क में है एवं बंधी में किसकी मिलीभगत है, इस सम्बंध में अनुसंधान किया जायेगा। अतः आरोपी द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को पीएचईडी विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही/पेनल्टी का भय दिखाकर उपभोक्ताओं से रिश्वत राशि की मांग करना एवं प्राप्त करना पाया गया है।

अतः आरोपी श्री महिपालसिंह पुत्र श्री जगदीश सिह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 138, हाथी का नोहरा, उम्मेद चौक जोधपुर हाल ठेका कर्मी जन स्वास्थ्य एंव अभियान्त्रिकी विभाग जोधपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(डा0 दुर्गसिंह राजपुरोहित)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
स्पेशल यूनिट, जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, निवासी 138, हाथी का नोहरा, उम्मेद चौक जोधपुर हाल ठेका कर्मी, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 46/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

16.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 435-38 दिनांक 16.02.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

16.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।